

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा

प्रेस विज्ञप्ति

एन0सी0आर0 क्षेत्र की वायु गुणवत्ता कुप्रभावित होने से रोकने हेतु ई0पी0सी0ए0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 02.11.2019 को नौएडा प्राधिकरण में वर्क सर्किल-1 से 10 के अन्तर्गत जोनल रोड नं0-3, 8, उद्योग मार्ग, सैक्टर-1, सैक्टर-52, 53, एवं 61, सैक्टर-24, 35, 33ए, 66, 71, 67, 68, सैक्टर-11 से एम0पी0-2 रोड, सैक्टर-58 एवं 59, सैक्टर-104, 110, 136, 137, 142, 143, सैक्टर-124, 94, 125, 128, 130, 132, 135, सैक्टर-142, 137, 143, 110, 136, 104, 150, 159, 145, 148, 155, 156,168, एम0पी0-3 रोड, एफ0एन0जी0 रोड सैक्टर-115 एवं बिसरख, सैक्टर-71, 76, एफ0एन0जी0 रोड सैक्टर-112, 77, सैक्टर-74, 76 एवं 117 के मुख्य एवं आन्तरिक मार्गों पर कुल 66 टैंकरों के माध्यम से लगभग 90.00 किमी0 लम्बाई में पानी का छिड़काव किया गया। खुले में निर्माण सामग्री रखने एवं निर्माण कार्य करते हुये प्रदूषण सम्बंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर धनराशि रुपये 16,45,000/- (रुपये सोलह लाख, पैंतालीस हजार मात्र) की पेनल्टी अधिरोपित की गई है। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 42 मार्गों पर लगभग 160.00 किमी0 लम्बाई में मैकेनिकल मशीनों के माध्यम से सड़कों की सफाई करायी गई। ई0पी0सी0ए0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में समस्त निर्माण सम्बंधी कार्यों पर तत्काल रोक लगा दी गई है तथा उल्लंघनकर्ताओं पर निरन्तर पेनल्टी अधिरोपित की जा रही है।